



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सेड़वा जिला बाड़मेर  
(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई आर.ए.एस.)  
(कोर्ट कैम्प का स्थान ग्राम पंचायत भंवरिया)

राजस्व आवेदन सं. ५२७/२०२५

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १३६ भू राजस्व अधिनियम १९५६ प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र श्री बालका राम बनाम  
तहसीलदार सेड़वा

आदेश

प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र श्री बालका राम निवासी गंगासरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १३६ भू राजस्व अधिनियम १९५६ प्रस्तुत मय दस्तावेज कर निवेदन किया है कि पटवार हल्का भंवरिया, राजस्व गांव भंवरिया के खाता संख्या ९२ के खसरा संख्या ३५९/३११ रकबा ०.७६५६ हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् २०७३-७६, में उनका नाम करसन पुत्र श्री बालका राजस्व अभिलेख में दर्ज हो गया है जबकि उनका शुद्ध नाम करसन पुत्र श्री बालका के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र श्री बालका राम है इस तरह उनका नाम करसन पुत्र श्री बालका के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र श्री बालका राम दुरुस्त किया जावे।

अतः तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन दिनांक ०९.१०.२०२५ की अनुशंसा के आधार पर प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र श्री बालका राम का पटवार हल्का भंवरिया, राजस्व गांव भंवरिया के खाता संख्या ९२ के खसरा संख्या ३५९/३११ रकबा ०.७६५६ हैक्टेयर किस्म बा.सोयम, जमाबन्दी सवत् २०७३-७६, में प्रार्थी का नाम करसन पुत्र श्री बालका के स्थान पर कृष्ण कुमार पुत्र श्री बालका राम शुद्ध करने के आदेश दिए जाते हैं। तहसीलदार सेड़वा तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद कर आगामी १५ दिनों में पालना इस न्यायालय के समक्ष सुनिश्चित करे।



(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक कलक्टर सेड़वा  
दिनांक : ३०/१२/२०२५

क्रमांक:- २२३९-५१

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

१. तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद की पालना रिपोर्ट भिजवायें।
२. प्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र श्री बालका राम, निवासी गंगासरिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।
३. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा  
उपखण्ड अधिकारी  
(SDO) सेड़वा

